२५|०|२२ पत्रावली पेश हुई। अनुवाय फारैन उप०।

दिनांक २५।२।२। को वादीया के वारिसान क्रमश: सुशीलादेवी, दुर्गादेवी, पूजा देवी, मोहनलाल, लालचन्द, शान्तिदेवी, महेन्द्र, पिंकी पिंकी, पुत्र।पुत्रियां स्व० लक्ष्मीदेवी ने एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की माता वादीया लक्ष्मी देवी का देहान्त दिनांक 13/01/19 को हो चुका है उक्त वाद परस्पर गलतफहमी से चल रहा है अत: प्रार्थीगण इस मुकदमें में पक्षकार नहीं बनना चाहते। दावा खारिज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र के संलग्न शपथ पत्र प्रार्थी, मृत्यु प्रमाण पत्र वादीनी लक्ष्मी देवी पहचान पत्र प्रार्थी गण पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र एवं हमराह दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीनी लक्ष्मीदेवी का देहान्त 3 वर्ष पूर्व हो चुका है तथा इनके वारिसान द्वारा वाद में आगामी कोई कार्यवाही नहीं चाही गई है ना ही पक्षकार संयोजित किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया है उक्त प्रार्थना पत्र पर वकील वादी ने अनापत्ति प्रस्तुत की।

अत: प्रार्थना पत्र प्रार्थी गण स्वीकार किया जाता है। आदेश 22 नियम 3 उपनियम 2 C.P.C के तहत परिसीमित समय के भीतर कोई आवेदन नहीं किया गया है। अत: वाद उपशमन हो गया है अत: वाद वादीया जरिये उपशमन इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर हो।